




HINDON RIVER REJUVENATION

HINDON JAL BIRADARI GHAZIABAD
9811251252- 9811628706

1:



हिंडन नदी का परिचय

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से हज़ारों छोटी-छोटी जल धाराओं के मिलने से इस नदी का जन्म होता है। और हिंडन आगे बढ़ते हुए अपने साथ सहारनपुर से निकलने वाली कुछ अन्य नदियाँ जैसे पाँवधोई, धामोला, कृष्णाणी, और काली नदी को अपने साथ समाहित करते हुए मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, मेरठ, बागपत, ग़ाज़ियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर से गुज़रते हुए यमुना नदी में समाहित हो जाती है।

हिंडन नदी का पुराणों में वर्णन है और इसके किनारे पर कई प्राचीन धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें पूरा महादेव का मंदिर स्थित है। 1857 के विद्रोह का युद्ध भी इसी के किनारे पर लड़ा गया था।

हिंडन नदी के किनारे पर लगभग 400 गाँव मौजूद हैं जहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों, दालें, और सब्जियाँ पैदा की जाती हैं। इसके साथ फलों के बाग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ये सभी फसलें आज़ादपुर मंडी, साहिबाबाद मंडी और बड़े शहरों में लाई जाती हैं।

नदी की समस्याएँ

1. प्रदूषण
2. नदी का सूख जाना
3. नदी की ज़मीन पर अवैध कब्जा
4. नदी से समाज का दूर हो जाना

समस्या का समाधान

प्रदूषण

- उद्योग और शहरों से निकलने वाले गंदे नालों पर सरकार द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएं। ट्रीटमेंट के बाद पानी का खेती एवं शहरों में पौधारोपण और निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जाए।
- नदी में जहरीला प्रदूषित पानी और कचरा डालने पर कानून का सख्ती से पालन किया जाए।

समस्या का समाधान

नदी का सूख जाना

1. नदी के उद्गम स्थल सहारनपुर में वर्षा के पानी को रोकने के लिए छोटे-छोटे चेक डैम बनाए जाएं।
2. नदी के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर के क्षेत्र में सरकारी ज़मीन, बंजर ज़मीन, वन भूमि और नदी की भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए।
3. नदी के दोनों तरफ तालाब खुदवाए जाएं।

समस्या का समाधान

नदी की ज़मीन पर अवैध कब्जा

1. नदी की ज़मीन पर अवैध कब्जे रोकने के लिए नदी के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का क्षेत्र "नदी संरक्षित क्षेत्र" घोषित किया जाए, जिस पर निर्माण पर रोक लगे।
2. नदी संरक्षित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए किसानों को प्रति बीघा प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।
3. नदी के डूब क्षेत्र में सरकार किसानों से ज़मीन लेकर उन्हें किसी अन्य उचित स्थान पर ज़मीन बदले में वापस करे या उन्हें ज़मीन का उचित मुआवजा देने का प्रावधान बनाए।

वृक्षारोपण के लिए एक विशेष कार्य योजना

1. नदी के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का क्षेत्र "नदी संरक्षित क्षेत्र" घोषित किया जाए, जिसमें विभिन्न तरीकों से अगले 10 वर्षों तक लाखों और करोड़ों पेड़, सरकार और समाज मिलकर लगाएं। तभी हिंडन नदी का अस्तित्व बचाया जा सकता है।
2. उदाहरण के लिए, नदी संरक्षित क्षेत्र में सरकारी भूमि, वन भूमि और नदी की भूमि पर उपवन बनाने के लिए सरकारी विभागों, उद्योगों और समाज के विभिन्न समुदायों को भूमि नियमों और शर्तों के साथ लघु उपवन लगाने के लिए दी जाए।

वृक्षारोपण के लिए एक विशेष प्रस्ताव

नदी संरक्षित क्षेत्र में उपवन बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को भूमि उनके पूर्वजों की स्मृति उपवन के नाम से दी जा सकती है, बशर्ते वे नियम और शर्तों का पालन करते हुए कार्य करें।

सरकार और समाज के वर्गों को स्मृति उपवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके तहत, 1 लाख पेड़ लगाने वाले को प्रधान मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर 1 कप चाय पीने और सम्मानित करने की योजना बनाई जाए।

(कुछ दशकों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने घोषणा की थी कि जो भी एस.डी.एम. अपने क्षेत्र में 50 हजार पेड़ लगाएगा, तो मुख्यमंत्री स्वयं उनके सब डिवीजन में चाय पीने आएंगे। इस योजना के तहत करोड़ों पेड़ उत्तर प्रदेश में लगाए गए, और उस समय श्री प्रभात कुमार, एस.डी.एम. जो बाद में कमिश्नर मेरठ के पद से रिटायर हुए, द्वारा 50 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री वहां गए।)

वृक्षारोपण के लाभ

नदी की ज़मीन पर होने वाले अतिक्रमण पर रोक लगेगी।

अगले 10 वर्षों में करोड़ों पेड़ लगाने से हवा साफ होगी और नदी के साथ एक विशाल ग्रीन कॉरिडोर बनेगा।

नदी के साथ बन रहे जंगलों में पक्षी और वन्य जीव वापस आएंगे।

वृक्षारोपण से बने असंख्य लघु जंगलों में जैव विविधता बढ़ेगी।

नदी के साथ जैसे-जैसे पेड़ और जंगल लगते जाएंगे, वर्षा का जल सोखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, जिससे धीरे-धीरे वर्षा जल का संरक्षण होगा और इन जंगलों से नदी की ओर रिचार्ज होगा

धन्यवाद!

HINDON JAL BIRADARI GHAZIABAD
9811251252- 9811628706

